रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228385 CG-DL-E-20072021-228385

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402] No. 402] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 2021/आषाढ़ 29, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2021/ASHADHA 29, 1943

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 500(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 (1957 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल संरक्षण बल नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रेल संरक्षण बल नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 27 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) में "निरीक्षकों" शब्द के स्थान पर "रेल संरक्षण बल के उप-निरीक्षकों (कार्यपालक), रेल संरक्षण विशेष बल के उप-निरीक्षकों (कार्यपालक), रेल संरक्षण बल और रेल संरक्षण विशेष बल के निरीक्षकों (कार्यपालक)" शब्द रखे जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों के नियम 64 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"64. अभिविन्यास पाठ्यक्रम :

हैड कांस्टेबल, सहायक उप-निरीक्षक अथवा उप-निरीक्षक के रैंक पर पदोन्नत होने के पश्चात् अभ्यावेशित बल सदस्य, महानिदेशक द्वारा नियत अवधि के लिए, पैनल के अनुमोदन के पश्चात् शीघ्र ही बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान में विशेष पाठ्यक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभिविन्यास पाठ्यक्रम के रूप में कहा गया है), पूरा करेंगे।"

4. उक्त नियमों के नियम 70 के उप-नियम (6) में मद (iv) में "तीन प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अथवा मुख्य सुरक्षा आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "महानिरीक्षक अथवा उप महानिरीक्षक रैंक के तीन अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

3962 GI/2021 (1)

- 5. उक्त नियमों के नियम 70 में, उप-नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
- "70.9 निरीक्षक के रैंक पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले कार्यकाल (रेज़िडेंसी पीरियड) के लिए पात्रता की तारीख, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में पैनल के अनुमोदन की तारीख से और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में भर्ती की तारीख से मानी जाएगी।
- 70.10 उप-निरीक्षकों और निरीक्षकों के रैंक की सामान्य वरिष्ठता सूची बोर्ड स्तर पर बनाई जाएगी और स्वीकृत संख्या, रिक्ति की स्थिति और रोस्टर अंचल स्तर पर नियम 28 के अधीन जारी निदेशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बनाया जाएगा:
- परंतु, जब तक सामान्य ज्येष्ठता सूची में से उप-निरीक्षक, निरीक्षक रैंक पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो जाते, तब तक अंचल स्तर पर तैयार की गई उप निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन किया जाएगा।"
- 6. उक्त नियमों के नियम 72 के उप-नियम (1) में, "हैड कांस्टेबल और सहायक उप-निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "हैड कांस्टेबल, सहायक उप-निरीक्षक और उप-निरीक्षक" शब्द रखे जाएंगे।
- 7. उक्त नियमों के नियम 89 में, -
- (क) उप-नियम (1) में, -
- (i) "सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "आंचलिक रेलों के लिए सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) "और रेल संरक्षण विशेष बल" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ख) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "89.1क रेल संरक्षण विशेष बल के लिए सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को रेल संरक्षण विशेष बल की इकाइयों के बीच ऐसी रीति से बांटा जाएगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लोकहित में आवश्यक समझा जाए।"
- 8. उक्त नियमों के नियम 89 में उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"89.2 कांस्टेबल:

- "प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के पश्चात्, आंचलिक रेलों के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को अभ्यावेशन के लिए मंडलों और उत्पादन इकाइयों में तथा रेल संरक्षण विशेष बल के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को रेल संरक्षण विशेष बल की विभिन्न इकाइयों में ऐसी रीति से बांटा जाएगा जैसा कि संबंधित प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लोकहित में आवश्यक समझा जाए।"
- 9. उक्त नियमों के नियम 94 के, उप-नियम (1) में,-
- (i) "िकसी श्रेणी में पदधारियों" शब्दों के स्थान पर "िकसी रैंक में विभिन्न चयन अथवा भर्ती परीक्षाओं के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने वाले पदधारियों" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातु :-

"परंतु, किसी भी रैंक के पदधारियों, जो सामान्य भर्ती परीक्षा द्वारा चयन किए गए परंतु विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए प्रशासनिक कारणों से भेजे गए न कि अभ्यर्थियों के स्वयं से संबंधित कारणों से, के बीच परस्पर ज्येष्ठता, भर्ती परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को 90% भारिता देने के पश्चात् और प्रारंभिक प्रशिक्षण के अंत में हुई परीक्षा में प्राप्त अंकों को 10% भारिता देने के पश्चात् तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर अवधारित की जाएगी, यदि पदधारी प्रारंभिक प्रशिक्षण के अंत में हुई परीक्षा को पहले प्रयास में ही उत्तीर्ण कर लेते हैं और और वे अभ्यर्थी जो उसी प्रारंभिक प्रशिक्षण के अंत में हुई परीक्षा को पश्चातवर्ती प्रयासों में उत्तीर्ण करते हैं वे उन सभी व्यक्तियों से किनष्ठ रैंक में होंगे जो पहले प्रयास में उत्तीर्ण हुए हैं:

परंतु यह और कि, विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा दिए गए अंकों को मानक सांख्यिकीय पद्धतियों का प्रयोग करते हुए समायोजित किया जाएगा ताकि विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के बीच मूल्यांकन को एक समान किया जा सके: परंतु यह भी कि, किसी रैंक में पदधारियों का चयन सामान्य भर्ती परीक्षा द्वारा हुआ हो लेकिन अभ्यर्थियों से संबंधित कारणों से प्रारंभिक प्रशिक्षण देरी से शुरू किया तो वे उन लोगों से रैंक में किनष्ठ होंगे जिन्होंने प्रशासन के निदेशानुसार प्रशिक्षण शुरू किया था।

- 10. उक्त नियमों के नियम 96 के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-
- "(i) वे अभ्यर्थी, जो सामान्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुए हैं और विभिन्न बैचों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हैं, भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों को 90% भारिता और प्रारंभिक प्रशिक्षण के अंत में हुई परीक्षा में प्राप्त अंकों को 10% भारिता देने के पश्चात् प्राप्त योग्यताक्रम में सुसंगत श्रेणी में ज्येष्ठ रैंक में होंगे और वे अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण अविध के अंत में हुई परीक्षा में दूसरे प्रयास में उत्तीर्ण होते हैं, उन सभी व्यक्तियों से किनष्ठ रैंक में होंगे जो पहले प्रयास में उत्तीर्ण हुए हैं।
- (i,क) विभिन्न बैचों में दिए गए अंकों को मानक सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग करते हुए समायोजित किया जाएगा ताकि विभिन्न बैचों के बीच मूल्यांकन को एक समान किया जा सके।"
- 11. उक्त नियमों के नियम 97 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "97 विभागीय प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता:
- "प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा चयन पैनल में उन्हें सौंपे गए पद के अनुसार अवधारित की जाएगी और कल्पित ज्येष्ठता, पैनल के अनुमोदन की तारीख के आधार पर होगी।"
- 12. उक्त नियमों के नियम 98 में, -
- (क) उप-नियम (1) में, -
- (i) "प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में प्रोन्नति की तारीख" शब्दों के स्थान पर "प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में पैनल जारी होने की तारीख" शब्द रखे जाएंगे:
- (ii) "यह नियम प्रारंभिक और मध्यवर्ती दोनों श्रेणियों की भर्ती को लागू होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (ख) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
- "98.1क समान सामान्य प्रवेश परीक्षा से सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों परंतु विभिन्न बैचों में विभिन्न प्रिशक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता नियम 28 के अधीन जारी निदेशों के अनुसार विनिश्चित की जाएगी।"
- 13. उक्त नियमों के नियम 99 में, -
- (क) उप-नियम (1) में "या रेल संरक्षण विशेष बल में और रेल संरक्षण विशेष बल से किसी अंचल" तथा "या रेल संरक्षण विशेष बल" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (ख) उप-नियम (2) में , -
- (i) "अभ्यावेशित बल-सदस्य" शब्दों के स्थान पर "अभ्यावेशित बल-सदस्य (उप-निरीक्षकों या निरीक्षकों को छोड़कर)" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) "रेल संरक्षण विशेष बल में और रेल संरक्षण विशेष बल से किसी आंचिलक रेल" तथा "या रेल संरक्षण विशेष बल" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (ग) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "99.2क पारस्परिक अदल-बदल अथवा स्वयं के अनुरोध पर एक आंचलिक रेल से दूसरे आंचलिक रेल में स्थानांतरण होने पर उप निरीक्षकों अथवा निरीक्षकों की ज्येष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये रैंक केंद्रीकृत ज्येष्ठता के अंतर्गत आते हैं।"
- 14. उक्त नियमों की अनुसूची I में, -
- (i) क्र. सं. 27, 28, 29, 30 और 31 और संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"27	उप निरीक्षक (एमटी)	उप निरीक्षक (एमटी)
28	सहायक उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक
29	सहायक उप निरीक्षक (एमटी)	सहायक उप निरीक्षक (एमटी)
	III. अवर अधिकारी	
30	हैड कांस्टेबल	हैड कांस्टेबल
31	हैड कांस्टेबल (एमटी)	हैड कांस्टेबल (एमटी)" ;

(ii) क्र. सं. 32 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् नीचे निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"32क	कांस्टेबल (एमटी)	कांस्टेबल (एमटी)"

- 16. उक्त नियमों की अनुसूची IV के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची IV नियुक्तियां और प्रोन्नतियां (नियम 25 देखें)

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	चयन या अचयन पद	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निरीक्षक	समय-समय पर यथा- विनिश्चित	चयन	नियम 70 के अधीन प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	(i) प्रोन्नतिः उप-निरीक्षक के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले उप-निरीक्षक जिसे महानिदेशक/रेल संरक्षण बल द्वारा एक वर्ष की छूट दी जा सकती हैः परंतु, कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास उप-निरीक्षक के रूप में सेवा के न्यूनतम वर्षों के पात्रता मानदंड के अधीन अर्हता होने के बावजूद भी निरीक्षक के पद के लिए चयन परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ज्येष्ठता सूची में उससे ऊपर के अभ्यर्थी उप-निरीक्षक के रूप में सेवा के न्यूनतम वर्ष पूरे न करने के कारण पात्र नहीं हों: टिप्पण : ऐसे कनिष्ठ अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो और प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, से ज्येष्ठ अभ्यर्थियों के लिए भी विचार किया जाएगा : परंतु उन्होंने अपेक्षित अर्हता या

					पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, की हो और अपने ऐसे किनष्ठों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, वर्तमान ग्रेड में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हों।" (ii) प्रतिनियुक्ति : पुलिस द्वारा निरीक्षक के रूप में प्रोन्नति के लिए स्वीकृत निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक
2.	उप-निरीक्षक (कार्यपालक)	समय-समय पर यथा- विनिश्चित	चयन	(a) नियम 49 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा 50%; (b) नियम 70 के उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा 30% (c) नियम 72 के उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा 20%	प्रोन्नित: (i) नियम 70 के लिए – उस रैंक में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सहायक उप निरीक्षक; (ii) नियम 72 के लिए : नियम 72 के लिए - कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक जिन्होंने बल के कार्यपालक संवर्ग में कुल 12 वर्ष (प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि सहित) की सेवा की है और जिनकी आयु अधिसूचना की तारीख तक 45 वर्ष से अधिक नहीं है (इस नियम के अधीन प्रोन्नित के कुल 3 अवसर दिए जाने हैं)।"
3.	सहायक उप- निरीक्षक (कार्यपालक)	समय-समय पर यथा- विनिश्चित	चयन	प्रोन्नति द्वारा : (i) नियम 70 के उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा 60% (ii) नियम 72 के उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा 40%	प्रोन्नित : (i) नियम 70 के लिए- हैड कांस्टेबल जिन्होंने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है। (ii) नियम 72 के लिए- हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो अधिसूचना की तारीख को बल में दस वर्ष की सेवा कर चुके हों (इस नियम के अधीन प्रोन्नित के लिए केवल 4 अवसर)
4.	हैड कांस्टेबल (कार्यपालक)	समय-समय पर यथा- विनिश्चित	75 %- अचयन 25%- चयन	प्रोन्नित द्वारा: अयोग्यता की अस्वीकृति के अध्यधीन ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्निति द्वारा 75% नियम 72 के उपबंधों के अनुसार प्रोन्निति द्वारा 25%.	प्रोन्नति: (i) अचयन- कांस्टेबल जिन्होंने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है। (ii) नियम 72 के अधीन – वे कांस्टेबल जो अधिसूचना की तारीख को बल में आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों (इस नियम के अधीन प्रोन्नति के लिए केवल 4

5.	उप निरीक्षक (एमटी)	आंचलिक रेलों अथवा रेल संरक्षण विशेष बल में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाने वाले पदों की कुल संख्या	चयन	नियम 70 के अधीन प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: सहायक उप-निरीक्षक (एमटी) रैंक में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित
6.	सहायक उप निरीक्षक (एमटी)	आंचिलक रेलों अथवा रेल संरक्षण विशेष बल में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाने वाले पदों की कुल संख्या		प्रोन्नति द्वारा : (i) नियम 70 के उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा 60% (ii) नियम 72 के उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा 40%	
7.	हैड कांस्टेबल (एमटी)	आंचलिक रेलों अथवा रेल संरक्षण विशेष बल में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाने वाले पदों की कुल संख्या	75 %- अचयन, 25%- चयन	अयोग्यता की अस्वीकृति के अध्यधीन ज्येष्ठता के	प्रोन्नति : (i) अचयन- वे कांस्टेबल (एमटी) जिन्होंने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है। (ii) नियम 72 के अधीन- कांस्टेबल (एमटी) जो अधिसूचना की तारीख को बल में आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों (इस नियम के अधीन प्रोन्नति के केवल 4

टिप्पणी: इच्छुक कांस्टेबल(कार्यपालक) की छानबीन के बाद कांस्टेबल (एमटी) को नियुक्त किया जाएगा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। छानबीन और सीधी भर्ती के लिए दिशानिर्देशों को महानिदेशक, रेल सुरक्षा बल द्वारा निदेशों के रूप में जारी किया जाएगा।

[फा. सं. 2018/सिक(ई)/पीएम-3/24पार्ट-1]

एस. शांडिल्य, महानिरीक्षक (मुख्यालय), रेलवे बोर्ड

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 951 (अ.), तारीख 03 दिसंबर, 1987 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए, अर्थात्:-

1.	सा.का.नि. 374	तारीख 24 जुलाई, 1992
2.	सा.का.नि. 574	तारीख 7 नवंबर, 1994
3	सा.का.नि. 164	तारीख 20 मार्च, 1995
4	सा.का.नि. 45	तारीख 12 जनवरी, 1996

5 सा.का.िन. 39 (अ) तारीख 17 जनवरी, 1996 6 सा.का.िन. 45 (अ) तारीख 29 जनवरी, 1997 7 सा.का.िन. 151 (अ) तारीख 11 मार्च, 1997 8 सा.का.िन. 229 तारीख 15 जुलाई, 1999 9 सा.का.िन. 756 (अ) तारीख 2 नवंबर, 1999 10 सा.का.िन. 768 (अ) तारीख 2 नवंबर, 1999 11 सा.का.िन. 286 तारीख 20 जुलाई, 2000	
7 सा.का.नि. 151 (अ) तारीख 11 मार्च, 1997 8 सा.का.नि. 229 तारीख 15 जुलाई, 1999 9 सा.का.नि. 756 (अ) तारीख 2 नवंबर, 1999 10 सा.का.नि. 768 (अ) तारीख 2 नवंबर, 1999 11 सा.का.नि. 286 तारीख 20 जुलाई, 2000	
8 सा.का.नि. 229 तारीख 15 जुलाई, 1999 9 सा.का.नि. 756 (अ) तारीख 2 नवंबर, 1999 10 सा.का.नि. 768 (अ) तारीख 2 नवंबर, 1999 11 सा.का.नि. 286 तारीख 20 जुलाई, 2000	
9सा.का.नि. 756 (अ)तारीख 2 नवंबर, 199910सा.का.नि. 768 (अ)तारीख 2 नवंबर, 199911सा.का.नि. 286तारीख 20 जुलाई, 2000	
10सा.का.नि. 768 (अ)तारीख 2 नवंबर, 199911सा.का.नि. 286तारीख 20 जुलाई, 2000	
11 सा.का.नि. 286 तारीख 20 जुलाई, 2000	
12 सा.का.नि. 359 तारीख 8 सितंबर, 2000	
13 सा.का.नि. 483 तारीख 24 अगस्त, 2001	
14 सा.का.िन. 790 (अ) तारीख 22 अक्तूबर, 2001	
15 सा.का.िन. 618 तारीख 12 नवंबर, 2001	
16 सा.का.िन. 257 (अ) तारीख 28 मार्च, 2003	
17 सा.का.नि. 448 (अ) तारीख 29 मई, 2003	
18 सा.का.िन. 312 (अ) तारीख 13 मई, 2004	
19 सा.का.िन. 245 तारीख 5 जुलाई, 2004	
20 सा.का.नि. 313 तारीख 25 अगस्त, 2004	
21 सा.का.नि. 649 (अ) तारीख 27 सितंबर, 2004	
22 सा.का.नि. 365 तारीख 29 सितंबर, 2005	
23 सा.का.िन. 366 तारीख 30 सितंबर, 2005	
24 सा.का.नि. 14 तारीख 24 जनवरी, 2007	
25 सा.का.िन. 114 तारीख 14 जून, 2007	
26 सा.का.नि. 527 (अ) तारीख 1 अगस्त, 2007	
27 सा.का.नि. 803 (अ) तारीख 31 अक्तूबर, 2008	
28 सा.का.नि. 127 (अ) तारीख 25 फरवरी, 2009	
29 सा.का.नि. 400 (अ) तारीख 12 मई, 2010	
30 सा.का.नि. 556 (अ) तारीख 16 अगस्त, 2013	
31 सा.का.नि. 719 (अ) तारीख 31 अक्तूबर, 2013	
32 सा.का.नि. 140 (अ) तारीख 2 फरवरी, 2018	
33 सा.का.नि. 1067 (अ) तारीख 25 अक्तूबर, 2018	

MINISTRY OF RAILWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2021

G.S.R. 500(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Railway Protection Force Act 1957 (23 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Protection Force Rules, 1987, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Railway Protection Force (Amendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Railway Protection Force Rules, 1987, (hereinafter referred to as the said rules) in sub-rule (1) of rule 27,in clause (e), for the words "Inspectors", the words "Sub-Inspectors (Executive) of Railway Protection Force, Sub-Inspectors (Executive) of Railway Protection Special Force, Inspectors (Executive) of Railway Protection Force and Railway Protection Special Force" shall be substituted.
- 3. For the rule 64 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"64. Orientation Courses:

Enrolled members of the Force after being promoted to the rank of Head Constable, Assistant Sub-Inspector or Sub-Inspector shall undergo a special course (hereinafter referred to as orientation course) at the earliest after approval of the panel at any training institution of the Force for a duration which may be fixed by the Director-General."

- 4. In sub-rule (6) of rule 70 of the said rules, in item (iv), for the words "Three Principal Chief Security Commissioners or Chief Security Commissioners", the words "three officers of the rank of Inspector General or Deputy Inspector General" shall be substituted.
- 5. In rule 70 of the said rules, after the sub-rule (8), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
 - "70.9 The date of eligibility for residency period to be considered for promotion to the rank of Inspector shall be counted from the date of approval of the panel in case of promotees and from the date of enlistment in case of direct recruits.
 - 70.10 The common seniority list in the rank of Sub-Inspectors and Inspectors shall be maintained at the Board's level and the sanctioned strength, vacancy position and rosters shall be maintained at the zonal level in accordance with the procedure laid down by the directives issued under rule 28:

Provided that until the Sub-Inspectors from the common seniority list become eligible for appearing in the selection to the rank of Inspector, the selection shall be conducted based on seniority list of Sub-Inspectors maintained at the zonal level.".

- 6. In rule 72 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "Head Constable and Assistant Sub-Inspector", the words "Head Constable, Assistant Sub-Inspector and Sub-Inspector" shall be substituted.
- 7. In rule 89 of the said rules,-
- (a) In sub-rule (1),-
 - (i) for the words "direct recruits", the words "direct recruits recruited for the zonal railways" shall be substituted;
 - (ii) the words "and Railway Protection Special Force" shall be omitted;
- (b) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "89.1A The direct recruits recruited for the Railway Protection Special Force shall be distributed amongst the units of the Railway Protection Special Force in such manner as may be considered necessary by the appointing authority in public interest.".
- 8. In rule 89 of the said rules, for the sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"89.2 Constables:

On successful completion of initial training, direct recruits recruited for the zonal railways shall be distributed for enrolment amongst the divisions and production units and direct recruits recruited for the Railway Protection Special Force shall be distributed among various units of the Railway Protection Special Force in such manner as may be considered necessary by the Principal Chief Security Commissioner concerned in public interest.".

- 9. In rule 94 of the said rules, in sub-rule (1),-
 - (i) for the words "incumbents of posts in a rank", the words "incumbents of posts in a rank joining on the basis of different selection or recruitment tests" shall be substituted.;

(ii) the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that the inter se seniority among the incumbents of post in a rank, selected through a common recruitment test, but sent for initial training in different training centres due to administrative reasons and not because of reasons attributable to the candidates, shall be determined on the basis of merit list prepared after giving 90% weightage to the marks obtained in the recruitment test and 10% weightage to marks obtained in the examination conducted at the end of initial training, if the incumbents pass the examination at the end of initial training in the first attempt and those incumbents who pass the examination in the subsequent attempts in the same initial training shall rank junior to those who passed in the first attempt:

Provided further that the marks awarded by different training centres shall be adjusted by using standard statistical methods to equalise evaluation among various training centres:

Provided also that the incumbents of posts in a rank selected through a common recruitment test but joining initial training late because of reasons attributable to the candidates shall rank junior to those who joined training as per the directions of the administration.".

- 10. In rule 96 of the said rules, for clause (i), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - "(i) candidates who are recruited through the common examination and sent for initial training in different batches shall rank in seniority in relevant grade in the order of merit obtained after giving 90% weightage to the marks obtained in recruitment test and 10% weightage to marks obtained in examination conducted at the end of initial training and those who pass the exam held at the end of training period in the second attempt shall rank junior to those who passed in the first attempt.
 - (i,a) The marks awarded in different batches shall be adjusted by using standard statistical methods to equalise evaluation among various batches.".
- 11. In rule 97 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "97 Seniority of departmental promotees:

The seniority of promotees shall be determined according to the position assigned to them in the select panel by the Departmental Promotion Committee and notional seniority shall be based on the date of approval of the panel.".

- 12. In rule 98 of the said rules,-
 - (a) in sub-rule (1),-
 - (i) for the words "the date of promotion in the case of promotees", the words "the date of issue of panel in case of promotees" shall be substituted;
 - (ii) the words "This rule shall apply to recruitments both in initial and intermediate grades" shall be omitted;
- (b) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "98.1A The *inter se seniority* of direct recruits from the same common entrance examination but trained in different batches in different training institutes and promotes shall be decided as per the directives issued under rule 28.".
- 13. In rule 99 of the said rules,-
 - (a) in sub-rule (1),the words "or to the Railway Protection Special Force and vice versa" and "or Railway Protection Special Force" shall be omitted;
 - (b) in sub-rule (2),-
 - (i) for the words "enrolled member of the force", the words "enrolled member (except Sub-Inspectors or Inspectors) of the force" shall be substituted;
 - (ii) the words "to the Railway Protection Special Force and vice versa" and "or Railway Protection Special Force" shall be omitted;

- (c) after sub-rule (2), the following sub rule shall be inserted, namely:-
- "99.2A There shall be no change in the Seniority of Sub-Inspectors or Inspectors transferred on mutual exchange or on own request from one zonal railway to another zonal railway as these ranks fall under centralised seniority.".
- 14. In Schedule I to the said rules,-
 - (i) for S. No.27, 28, 29, 30 and 31 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"27	Sub Inspector (MT)	Sub Inspector (MT)	
28	Assistant Sub Inspector	Assistant Sub Inspector	
29 Assistant Sub Inspector (MT)		Assistant Sub Inspector (MT)	
III. UNDER OFFICERS			
30	Head Constable	Head Constable	
31	Head Constable (MT)	Head Constable (MT)";	

(ii) after the S. No. 32 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

	"32A	Constable (MT)	Constable (MT)".
--	------	----------------	------------------

- 15. In Schedule II to the said rules, against S. No. 5.4, in column (2), for the words "or from Railway Protection Special Force and vice versa" shall be omitted.
- 16. For Schedule IV to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely:-

	"SCHEDULE IV APPOINTMENTS AND PROMOTION (See rule 25)						
S. No.	Name of posts.	Number of posts.	Selection post or non- selection post.	Method of recruitment.	In case of recruitment by promotion, deputation or transfer, grades from which promotion, deputation or transfer to be made.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	Inspector	As may be decided from time to time.	Selection	By promotion under rule 70 failing which by deputation	(iii) Promotion: "Sub-Inspectors with 8 years regular service as Sub-Inspectors relaxable by one year by Director General, Railway Protection Force: Provided that any candidate, despite having qualified under the eligibility criterion of minimum years of service as Sub-Inspector will not be eligible to appear in the selection test to the post of Inspector, if candidates placed above him in the seniority list are not eligible on the ground of not having completed the minimum years of service as Sub-Inspector. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered		

					provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility Service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period in the current grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service." (iv) Deputation: Inspectors or Sub-Inspectors approved for promotion as Inspectors from the Police.
2.	Sub- Inspector (Executive)	As may be decided from time to time.	Selection	 (a) 50% by direct recruitment in accordance with provisions of rule 49; (b) 30% by promotion in accordance with provisions of rule 70; (c) 20% by promotion in accordance with provisions of rule 72. 	Promotion: (i)For rule 70-Assistant Sub-Inspector with 5 years regular service in that rank. (ii) For rule 72- Constables, Head Constables and Assistant Sub-Inspectors who have put in 12 years of total service (including initial training period) in executive cadre of the Force and are not more than 45 years of age on the date of notification (Three chances to be given for promotion under this rule).
3.	Assistant Sub- Inspector (Executive)	As may be decided from time to time.	Selection	By promotion: (i) 60% by promotion inaccordance with provisions of rule 70; (ii) 40% by promotion in accordance with provisions of rule 72.	Promotion: (i) For rule 70- Head Constables who have completed their probation. (ii) For rule 72-Head Constables and Constables who have put in ten years' service in the Force on the date of notification (Four chances only for promotion under this rule).
4.	Head Constable (Executive)	As may be decided from time to time	75 %- Non-selection, 25%- Selection	By promotion: 75% by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit; 25% by promotion in accordance with the provisions of rule 72.	Promotion: (iii) Non-selection- Constables who have completed their probation. (iv) Under rule 72-Constables who have put in eight years' service in the Force on the date of notification (Four chances only for promotion under this rule).
5.	Sub- Inspector (MT)	The total numbers of posts in Zonal Railways or in Railway Protection Special Force to be decided by the Central Government from time to time	Selection	By promotion under rule 70.	Promotion: Assistant Sub-Inspectors (MT) with five years regular service in that rank

6.	Assistant Sub- Inspector (MT)	The total numbers of posts in Zonal Railways or in Railway Protection Special Force to be decided by the Central Government from time to time	Selection	By promotion: (i) 60% by promotion in accordance with provisions of rule 70; (ii) 40% promotion in accordance with provisions of rule 72.	Promotion: (iii) For rule 70- Head Constables (MT) who have completed their probation. (iv) For rule 72-Head Constables (MT) and Constables (MT) who have put in ten years' service in the Force on the date of notification (Four chances only for promotion under this rule).
7.	Head Constable (MT)	The total numbers of posts in Zonal Railways or in Railway Protection Special Force to be decided by the Central Government from time to time.	75 %- Non- selection, 25%- Selection	By promotion: Seventy five percent by on the basis of seniority subject to rejection of unfit and twenty five percent by promotion in accordance with the provisions of rule 72.	Promotion: (i)Non-selection- Constables (MT) who have completed their probation. (v) Under rule 72-Constables (MT) who have put in eight years' service in the Force on the date of notification (Four chances only for promotion under this rule).

Note: Constable (MT) shall be appointed post screening of willing Constables (Executive) failing which, by direct recruitment guidelines for screening or direct recruitment shall be issued by Director General, Railway Protection Force as directives.".

[F. No. 2018/Sec(E)/PM-3/24 Pt-1]

S. SHANDILYA, Inspector General (Head Quarters), Railway Board

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (i) *vide* notification number G.S.R. 951(E), dated 3rd December, 1987 and subsequently amended *vide* the following, namely:-

1.	G.S.R. 374	Dated the 24th July, 1992
2.	G.S.R. 574	Dated the 7th November, 1994
3.	G.S.R. 164	Dated the 20th March, 1995
4.	G.S.R. 45	Dated the 12th January, 1996
5.	G.S.R. 39 (E)	Dated the 17th January, 1996
6.	G.S.R. 45 (E)	Dated the 29th January, 1997
7.	G.S.R. 151 (E)	Dated the 11th March, 1997
8.	G.S.R. 229	Dated the 15th July, 1999
9.	G.S.R. 756 (E)	Dated the 2nd November, 1999
10.	G.S.R. 768 (E)	Dated the 2nd November, 1999
11.	G.S.R. 286	Dated the 20th July, 2000
12.	G.S.R. 359	Dated the 8th September, 2000
13.	G.S.R. 483	Dated the 24th August, 2001
14.	G.S.R. 790 (E)	Dated the 22nd October, 2001
15.	G.S.R. 618	Dated the 12th November, 2001
16.	G.S.R. 257 (E)	Dated the 28th March, 2003
17.	G.S.R. 448 (E)	Dated the 29th May, 2003
18.	G.S.R. 312 (E)	Dated the 13th May, 2004
19.	G.S.R. 245	Dated the 5th July, 2004
20.	G.S.R. 313	Dated the 25th August, 2004

21.	G.S.R. 649 (E)	Dated the 27th September, 2004
22.	G.S.R. 365	Dated the 29th September, 2005
23.	G.S.R. 366	Dated the 30th September, 2005
24.	G.S.R. 14	Dated the 24th January, 2007
25.	G.S.R. 114	Dated the 14th June, 2007
26.	G.S.R. 527 (E)	Dated the 1st August, 2007
27.	G.S.R. 803 (E)	Dated the 31st October, 2008
28.	G.S.R. 127 (E)	Dated the 25th February, 2009
29.	G.S.R. 400 (E)	Dated the 12th May, 2010
30.	G.S.R. 556 (E)	Dated the 16th August, 2013
31.	G.S.R. 719 (E)	Dated the 31st October, 2013
32.	G.S.R. 140 (E)	Dated the 2nd February, 2018
33.	G.S.R. 1067 (E)	Dated the 25th October 2018